सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मुकाम ब्यावर

श्री हरदेव बनाम श्री श्रीराम व अन्य

किस्म मुकदमा 212 आर0टी0ए0 नं. 40 सन् 2018

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
[illegible]	वकील प्रार्थी श्री बलवन्त सिंह चौहान उपस्थित। प्रार्थना पत्र पर जांच रिपोर्ट देखी गई। प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पर सुना गया जिन्होंने कमोबेश प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को ही दोहरायें। बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया । बाद अवलोकन मामला प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया बनता है, तथा सहूलियत का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में बनना पाया जाता है ।अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से **आगामी तारीख तक** पाबंद किया जाता है कि वे ग्राम रहमानखेड़ा पटवार हल्का ब्यावरखास के वादग्रस्त खसरान की मौके की यथास्थिति बनाए रखेंगे। मिसल बाद दर्ज रजिस्टर होकर नोटिस पर उक्त आशय का नोट अंकित कर जारी किये जावे। मिसल दिनांक 20–08–2018 को पेश हो।	नोटिस जारी 23-07-11 28-6-18 उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर ब्यावर
07-8-18	वकील प्रार्थीगण द्वारा मूल वाद में प्रा.पत्र वास्ते तलब करने मिसल प्रस्तुत करने पर पत्रावली आज तलब की गई। प्रार्थी स्वयं उपस्थित। प्रार्थी के अभिभाषक ने मूल वाद में प्रा.पत्र वास्ते नया वाद/प्रा.पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति प्राप्त करने तथा वाद विड्रो किये जाने का प्रस्तुत किया। चूंकि मूल वाद में प्रा.पत्र स्वीकार किए जाने के बाद इस प्रा.पत्र पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रहती है। अतः नया प्रा.पत्र टी.आई. प्रस्तुत करने के अधिकार सुरक्षित रखते हुए वाद/प्रा.पत्र टी.आई. विड्रो की अनुमति दी जाती है एवं प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। मिसल फैसलशुदा शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर,ब्यावर	हरदेव पहचान कर्ता